

कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर – 495442
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

Special College
Code - 2812

Website: www.gmcratanpur.ac.in; Phone/ Mobile : 07753-255490, 8962311524, 9300311524
Email: gmc_ratapur@rediffmail.com; pri-mratanpur.cg@gov.in; col-mratanpur.cg@gov.in

// सूचना //

दिनांक 14/06/2019

पूर्व वर्ष की भांति सत्र 2019-20 में छात्र-छात्राओं के लिये महाविद्यालय में कैंटिन संचालित होना है। कैंटिन संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति महाविद्यालयीन शर्तों के अधीन कैंटिन में बनाये जाने वाले खाद्य सामग्री की दर एवं मात्रा के साथ दिनांक 25/06/2019 तक महाविद्यालय में कार्यालयीन समय में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

प्राप्त आवेदन के अवलोकन के पश्चात इस संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

(डॉ. प्रमोद तिवारी)
संयोजक कैंटिन समिति


(डॉ. आर. एस. खेर)
प्राचार्य

प्रतिलिपि:-

01. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- ✓ 02. महाविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड हेतु।
03. कार्यालयीन प्रति।

(डॉ. प्रमोद तिवारी)
संयोजक कैंटिन समिति

(डॉ. आर. एस. खेर)
प्राचार्य



कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर – 495442
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)


Special College
Code - 2812


Website: www.gmcratanpur.ac.in; Phone/ Mobile : 07753-255490, 8962311524, 9300311524
Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com; pri-mratanpur.cg@gov.in; col-mratanpur.cg@gov.in

// / कैंटिन संचालन हेतु शर्तें // //

दिनांक 14/06/2019

01. कैंटिन संचालन का समय प्रतिदिन कार्य दिवस पर प्रातः 09:30 बजे से 05:30 बजे सायं तक होगी।
02. खाद्य सामग्री की दर एवं मात्रा आवेदन के अनुरूप होगी।
03. कैंटिन में महाविद्यालय के बाहर के लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।
04. कैंटिन में तम्बाखू युक्त किसी भी मादक पदार्थों या वस्तुओं का सेवन/बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
05. कैंटिन में बाल मजदूर से कार्य लेना वर्जित होगा।
06. कैंटिन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होना चाहिए।
07. कैंटिन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावेगा।
08. कैंटिन में प्लास्टिक/पन्नी का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा।
09. कैंटिन में महाविद्यालय की सामग्री उपयोग में लाने हेतु उसे कार्यालय से अनुमति लेकर निर्गमित कराना होगा एवं कैंटिन छोड़ने पर नियमानुसार वापस लौटाना होगा।
10. महाविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में चाय, नास्ता एवं अन्य खाद्य सामग्री रियायती दरों पर कैंटिन द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
11. कैंटिन की ऐसी गतिविधियों जिसके कारण महाविद्यालय का अनुशासन प्रभावित होने पर कैंटिन तुरंत बंद करारकर खाली करना होगा।
12. उपयुक्त शर्तों के साथ 50रु. के स्टॉम पेपर पर तथा 3000रु. अमानत राशि के साथ महाविद्यालय के साथ अनुबंध करना होगा।
13. चालू सत्र के दौरान समय से पूर्व कैंटिन का संचालन बंद करने पर अमानत राशि 3000रु. किसी भी रूप में लौटाई नहीं जायेगी।


(डॉ. प्रमोद तिवारी)
संयोजक कैंटिन समिति


(डॉ. आर.एस. खैर)
प्राचार्य